न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

प्रार्थना पत्र संख्या – 96/2018 उनवान– संतोषदेवी आदि बनाम महेश आदि

श	कार्यवाही विवरण	अनु क. दि.

पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उपस्थित। बहस वकील आवेदक सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम झाझड की सरहद में भूमि ख.न. 8/0.06, 9/0.07, 10/0.65, 11/0.33 किता 4 कुल रकबा 1.11 है0 अवस्थित है जिसे आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उपरोक्त वर्णित भूमि स्व0 मांगू की थी जिकसे तीन पुत्र झुथाराम, दुर्गाराम व कुरड़ाराम हुये। आवेदिकागण स्व0 दुर्गाराम की पुत्री हैं तथा स्व0 दुर्गाराम के आवेदिकागण तथा अनावेदकगण नं. 1 व 2 विधि वारिस हैं तथा आवेदिकागण व अनावेदकगण नं. 1 लगायत 9ए का वादग्रस्त हिस्से पर काबिजकाश्त पीढी दर पीढी चला आ रहा है। स्व0 झूथाराम के वारिसों का 1/3 हिस्सा; दुर्गाराम के वारीसान का 1/3 हिस्सा तथा इसी प्रकार कुरडाराम के फौत होने पर उसके वारिसान का 1/3 हिससा विरासत में प्राप्त हुआ इसी अनुसार अपने अपने हिस्से पर शामलाती रूप से कब्जाकाश्त लाट बाट, उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। वादग्रस्त भूमि में आवेदिकागण तथा अनावेदकगण नं. 1 व 2 का हिस्सा 1/3 में प्रत्येक का 1/6, 1/6 है। इसीप्रकार अनावेदक नं. 3 का 1/3 हिस्सा तथा अनावेदकगण नं. 8 व 9, 9ए का 1/3 हिस्सों में से 1/3, 1/3 है तथा अनावेदकगण नं. 4 लगायत 7 का 1/3 हिस्सों में से 1/4, 1/4 है। वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत रूप से अनावेदकगण नं. 1 व 2 के नाम से दर्ज होने से अनावेदकगण की मंशा में फर्क आ गया, अनावेदकगण नं. 1 व 2 आवेदिकागण को उनके वैद्य अधिकारों से वंचित करने पर आमादा हैं यदि अनावेदकगण नं. 1 व 2 अपनी नाजायज मंशा मे सफल हो गये तो वादियागण को अपने वैद्य अधिकारों से वंचित होना पडेगा साथी ही व्यर्थ की मुकदमे बाजी में फंसना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से संभव नही होगी। इसलिये अनावेदकगण नं. 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अतः निवेदन है कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में आवेदिकागण के हिस्से कब्जेकाश्त उपयोग उपभोग में न तो स्वयं बाधा डाले न ही अन्य किसी से बाधा डलवाये तथा किसी को कब्जा करावये न ही अजनबी केतागण को भूमि का हस्तानान्तरण नही करेक। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तलबी अनावेदकगण की गई परन्तु अनावेदकगण की और से कोई उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः बहस वकील आवेदकगण सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम झाझड संवत 2018 से 2021 के अनुसार ख.न 8 रकबा 4 बीघा 8 बिश्वा की खातेदारी बद्री झुथा व दुर्गा पि0 मांगू कौम माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 के अनुसार गत ख.न .8मी से नये ख.न 8/0.06, 9/0.07, 10/0.65, 11/0.33 बनना प्रमाणित है। नकल जमाबंदी ग्राम झाझड संवत 2067–2070 के अनुसार भूमि ख.न. 8/0.06, 9/0.07, 10/0.65, 11/0.33 किता 4 कुल रकबा 1.11 है0 की खातेदारी काशी पुत्र कुरडा हि0 1/3 विजयपाल सज्ज्न पि0 महाबीर लिछमी पुत्री महावीर किस्तुरीदेवी धर्मपत्नी स्व0 महावीर पप्पू छोटू पि0 झूथा रामकोरी पत्नी झूथा हि0 1/3 महेश पुत्र दुर्गा अणची हि0 1/3 ब.हि.ब. जाति माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैत्रृक है।

अतः तादावा फैसला पक्षकारान के मध्य वाद बहूलता नही बढे अनावेदकगण नं. 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार का विक्रयादि नही करें तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो कर मूल वाद के सलग्न किया जावे। निर्णय आज दिनांक 08.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner